

न्यायालय:दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-39 / 2016

संस्थित दिनांक-12.07.2016

फाई.क.एम.जे.सी.आर / 300680 / 2016

श्रीमती श्यामबती बाई कुंजाम उम्र 42 वर्ष पति चुरामन सिंह कुंजाम, जाति गोंड
 निवासी-ग्राम नेवरगांव हाल मुकाम ग्राम लोरा थाना मलाजखण्ड तहसील बिरसा
 जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — आवेदिका

// विरुद्ध //

चुरामन कुंजाम उम्र 45 वर्ष पिता श्री चैतराम कुंजाम जाति गोंड,
 निवासी-वार्ड नंबर-14 दर्जी टोला नेवरगांव थाना मलाजखण्ड,
 ऐच्छिक सेवानिवृत्त आरक्षक 4थी वाहिनी छ.स.

— — — — — अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-21/07/2017 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-12.07.2016 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से 25 वर्ष पूर्व जाति रीति-रिवाज अनुसार हुआ था। आवेदिका को अनावेदक के संसर्ग से एक पुत्र व दो पुत्रियां हैं, जो क्रमशः पुत्र संजय कुंजाम, पुत्री रितु कुंजाम, राधिका कुंजाम हैं। अनावेदक शासकीय कर्मचारी रहा है, जिससे उसने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। अनावेदक शराबी व्यक्ति है, जो अपना पूरा वेतन शराब पीने में उड़ा देता था। आवेदिका ने अपने मायके वालों की मदद से अपने पुत्र व पुत्री रितु कुंजाम का विवाह किया था, जिसमें अनावेदक ने किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं किया। अनावेदक द्वारा वर्ष 2015 में आवेदिका एवं उसकी छोटी पुत्री राधिका कुंजाम को मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया था, जिसकी मौखिक शिकायत आवेदिका ने दिनांक-22.06.2015 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी। पुलिस

थाना मलाजखण्ड द्वारा कोई कार्यवाही न कर न्यायालय जाने की सलाह दी गई थी। आवेदिका अपनी छोटी पुत्री के साथ अपने मायके में ही निवास कर रही है। आवेदिका की छोटी पुत्री राधिका कुंजाम बी.सी.ए. की छात्रा है, जिसकी वार्षिक फीस 45,000/-रुपये है, जिसे अदा करने में आवेदिका सक्षम नहीं है। अनावेदक ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्राप्त रकम को अपने पास रख लिया है और उसी राशि से रोज शराब पीकर उक्त राशि खत्म कर रहा है। आवेदिका के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आवेदिका का पुत्र मजदूरी करता है और उसका विवाह हो चुका है, जिस पर उसके स्वयं के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति है, उसे मासिक 12,000/-रुपये पेंशन प्राप्त होती है। अनावेदक के नाम से 2 एकड़ कृषि भूमि है, जिससे उसे 2,00,000/-रुपये प्रतिवर्ष आय होती है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि उसे अनावेदक से 10,000/-रुपये भरण-पोषण राशि दिलाई जावे।

3- अनावेदक दिनांक-20.10.2016 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण उसके विरुद्ध उक्त दिनांक को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

4- आवेदन के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है?

निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

5- समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

6- श्यामबतीबाई आ.सा.01 ने अपने मौखिक कथन में आवेदन का समर्थन करते हुए अभिकथित किया है कि उसका विवाह अनावेदक से 25 वर्ष पूर्व हुआ था। अनावेदक से उसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम संजय है एवं अनावेदक से आवेदिका को दो पुत्रियां हुई थीं जिनका नाम राधिका व रितु हैं। अनावेदक शासकीय कर्मचारी होकर पुलिस

विभाग में पदस्थ था। अनावेदक वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है। अनावेदक अत्यधिक शराब पीकर आवेदिका के साथ मारपीट करता था एवं आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वर्ष 2015 में अनावेदक ने आवेदिका के साथ मार पीट की थी तब आवेदिका ने थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आवेदिका वर्तमान में उसके भाई के पास ग्राम लौरा में रहती है। आवेदिका की इस साक्ष्य का समर्थन आवेदिका के भाई नरसिंह धुर्वे आ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक की ओर से आवेदिका एवं उसकी साक्षीगण का न तो प्रतिपरीक्षण किया है और न ही इस तथ्य का खण्डन किया है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि नहीं है।

7— आवेदिका श्यामबती आ.सा.01 ने अपने मौखिक कथन में यह भी अभिकथित किया है कि अनावेदक अत्यधिक शराब पीता है। अनावेदक के प्रताड़ित करने के कारण आवेदिका उसके भाई के गांव लौरा में रह रही है। इस साक्षी के कथनों का समर्थन नरसिंह धुर्वे आ.सा.02 द्वारा भी किया गया है। यह साक्षी आवेदिका का भाई है। इस साक्षी का यह कहना है कि अनावेदक आवेदिका के साथ मारपीट करता था इस कारण उसकी बहन उसके मकान में उसके गांव में रहने लगी है। अनावेदक ने आवेदिका एवं उसकी पुत्री की कोई खोज खबर नहीं ली है। अनावेदक आवेदिका को उसके भरण पोषण की राशि दे सकता है। उक्त दोनों साक्षीगण पर उक्त संबंध में अनावेदक की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में उक्त साक्षियों की साक्ष्य अखण्डनीय हो जाती है। उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदिका को प्रताड़ित किया है। इस कारण आवेदिका उसके भाई के पास उसके मायके में रह रही है तथा अनावेदक ने आवेदिका एवं उसकी पुत्रियों के भरण-पोषण में उपेक्षा की है।

8— आवेदिका का कथन है कि उसके पति को लगभग दस हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। आवेदिका की पुत्री राधिका कुंजाम बी.एस.सी. की छात्रा है उसकी पढ़ाई में लगभग दस हजार रुपये प्रतिमाह का खर्च आता है। आवेदिका मजदूरी करके उसका एवं उसकी पुत्रियों का भरण-पोषण करती है। अनावेदक के पास लगभग एक एकड़ खेती है। आवेदिका ने बताया है कि उसके भरण-पोषण के लिए लगभग दस हजार रुपये प्रतिमाह का खर्च आता है। नरसिंह धुर्वे आ.सा.02 ने आवेदिका की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि आवेदिका की पुत्री की पढ़ाई में प्रतिमाह पंद्रह सौ रुपये का खर्च आता है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक साधन

संपन्न व्यक्ति है। उसे पंद्रह हजार रुपये पेंशन मिलती है। अनावेदक के पास दो एकड़ खेती है जिससे उसे लगभग पचास हजार रुपये की आय होती है। आवेदिका एवं उसकी पुत्री के भरण-पोषण के लिए दस हजार रुपये का खर्च आता है। आवेदिका श्यामबतीबाई आ.सा.01 एवं उसके भाई नरसिंह धुर्वे आ.सा.02 की साक्ष्य में अनावेदक की पेंशन की राशि, आवेदिका की पुत्री की पढ़ाई की राशि के संबंध में एवं अनावेदक की भूमि कितनी है इस संबंध में विरोधाभास है। लेकिन इस विरोधाभास के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि अनावेदक को पेंशन प्राप्त नहीं होती है। किंतु आवेदिका की ओर से अनावेदक की उपरोक्त आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

9— आवेदिका ने उसकी मौखिक साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया है कि वह अनावेदक की विवाहिता पत्नि है। अनावेदक ने उसके भरण-पोषण की उपेक्षा की है और भरण-पोषण से इंकार किया है। आवेदिका अपना एवं अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। पत्नि के भरण-पोषण का दायित्व पति पर होता है। किन्तु अनावेदक ने बिना किसी कारण के आवेदिका एवं उसकी पुत्री के भरण-पोषण में उपेक्षा की है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। आवेदिका के रहन सहन एवं वर्तमान समय की मेंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक आवेदिका को 3,000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 12 को निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

10— अनावेदक, आवेदिका का व्यय वहन करेगा।

11— आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(दिलीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0